

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-26/2015-

190 आयंजन /कृ0, पटना, दिनांक 01/02/2016

प्रेषक,

प्रभु राम,

निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को गैर योजना मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में वेतन मद में स्वीकृत कुल रु० 95,89,15,220 (पंचानवे करोड़ नवासी लाख पंद्रह हजार दो सौ बीस रु०) में से पूर्व में विमुक्त राशि को घटाने के बाद स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से बजट उपबंध की सीमा में रु० 27,75,24,822 (सताईस करोड़ पचहत्तर लाख चौबीस हजार आठ सौ बाईस रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के लिए ₹27,75,24,822 (सताईस करोड़ पचहत्तर लाख चौबीस हजार आठ सौ बाईस रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-243 दिनांक-18.01.2016 द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को गैर योजना मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में वेतन मद में स्वीकृत कुल रु० 95,89,15,220 (पंचानवे करोड़ नवासी लाख पंद्रह हजार दो सौ बीस रु०) में से पूर्व में विमुक्त राशि को घटाने के बाद स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से बजट उपबंध की सीमा में रु० 27,75,24,822 (सताईस करोड़ पचहत्तर लाख चौबीस हजार आठ सौ बाईस रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को ₹27,75,24,822 (सताईस करोड़ पचहत्तर लाख चौबीस हजार आठ सौ बाईस रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹27,75,24,822 (सताईस करोड़ पचहत्तर लाख चौबीस हजार आठ सौ बाईस रु०) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष- 277-शिक्षा-मांग सं०-01-उपशीर्ष-0005-राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, विपत्र कोड-N24150127700005, के अंतर्गत विषयशीर्ष-3104-सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित एवं द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि ₹1,19,54,29,000 (एक अरब उन्नीस करोड़ चौवन लाख उनतीस हजार रु०) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक -17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक

190 आयंजन

प्रतिलिपि :

2.

महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव।

/कृ०, पटना, दिनांक 01/02/2016

निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक 190 आवंटन

/कृ०, पटना, दिनांक 01/02/2016

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्प) सूचना, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव।

